कर-राजस्व

निगम कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया हैः

(क) संग्रहण	192680	188968	207865
(ख) अधिभार	16315	16001	17601
(ग) शिक्षा अधिभार	6334	6466	7113
(घ) विविध प्राप्तियां	11032	10566	11622
जोड़	**226361**	**222001**	**244201**

*निगम-कर से भिन्न आय पर कर**

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया हैः

(क)	संग्रहण	121737	107781	119012
(ख)	अधिभार*	11803	10034	11693
(ग)	शिक्षा उपकर	3545	3583	3955
(घ)	विविध प्राप्तियां	679	602	665
(ङ)	अन्य कर (बैंकिंग नकद लेन-देन कर)	550	600	50
	जोड़	**138314**	**122600**	**135375**

* *इसमें अनुषंगी लाभ कर तथा प्रतिभूति लेन-देन कर की प्राप्तियां और बैंकिंग नकद ले*

धन कर

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था। शेयरों, बैंक में जमाराशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था और यह केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाऊस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि जैसी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाता है। धनकर उस राशि, जिससे निवल धन राशि पंद्रह लाख रुपए से अधिक हो जाती है, के 1% की दर पर प्रभार्य है।

धन-कर के संबंध में 2009-2010 के बजट अनुमान में 425 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

बकाया संग्रहण : ब.अ. 2009-10 में 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बकाया प्रत्यक्ष कर संग्रहणों को शामिल किया गया है।

सीमा शुल्क

2008-2009 के लिए सीमा शुल्क के संशोधित अनुमान बजट अनुमान 118930 करोड़ रुपए की तुलना में 108000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2009-10 के लिए बजट अनुमान 110187 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का खण्ड-वार विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
(1) आयात शुल्क	**115300**	**101710**	**103772**
(क) बुनियादी शुल्क	40240	36605	48717
(ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	55395	46015	36660
(ग) विशेष सी.वी. शुल्क	15540	14095	14380
(घ) मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0	130	0
(ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0	540	0
(च) मोटर स्प्रिट पर अधिभार	0	390	0
(छ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	660	790	805
(ज) शिक्षा उपकर	2310	2095	2140
(झ) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	1155	1050	1070
(2) निर्यात शुल्क	**2065**	**4050**	**4130**
(3) निर्यात पर उपकर	**525**	**595**	**605**
(4) अन्य प्राप्तियां	**1040**	**1645**	**1680**
जोड़ (1+2+3+4)	**118930**	**108000**	**110187**

(i) **बुनियादी शुल्क :** बुनियादी सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

(ii) **अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) :** अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत लगया जाता है, जो कि घरेलू रूप से विनिर्मित ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सेनवैट दर को 01.03.2008 से 16% से घटाकर 14% किया जा रहा है।

(iii) **विशेष सी.वी. शुल्क :** विशेष सी.वी.शुल्क सभी आयातित वस्तुओं पर, जिसके कुछ अपवाद हैं, 4% की दर से घरेलू लेवी की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ लगायी जाती है।

(iv) **मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क :** मोटर स्प्रिट पर यह शुल्क वित्त अधिनियम (संख्या 2), 1998 द्वारा लगाया जाता है।

(v) **हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क :** हाई स्पीड डीजल तेल पर यह शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा लगाया जाता है।

(vi) **मोटर स्प्रिट पर अधिभार :** वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अधिभार लगाया जाता है।

(vii) **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** यह शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के अंतर्गत लगाया गया था। यह कर मोटर कार, आयातित बहु-उपयोगी वाहनों, पालिस्टर फिलामेंट यार्न तथा दुपहियों पर भी लगाया जाता है। वर्ष 2008-09 के बजट से पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर से एनसीसीडी हटा लिया गया है और 1 प्रतिशत की दर पर मोबाइल फोन पर लगा दिया गया है।

(viii) **शिक्षा उपकर :** शिक्षा उपकर समग्र सीमाशुल्क की राशि पर (धारा 8ख तथा 8ग के अंतर्गत सुरक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत सी.वी.डी. तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अंतर्गत डंपिंग-रोधी शुल्क को छोड़कर) 2% की दर से लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत निश्चित दरों पर सीमाशुल्क के अंतर्गत आने वाली मदों को इस उपकर से छूट दी गयी है।

(ix) **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** समग्र सीमाशुल्क की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(x) **निर्यात शुल्क :** निर्यात शुल्क लोहे और क्रोमियम के अयस्क और संकेन्द्रण पर लगाया जाता है। 10.5.2008 से बासमती चावल पर 8000 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्यात शुल्क लगाया गया था। 13.6.2008 को निर्दिष्ट लोहे और इस्पात की मदों पर निर्यात शुल्क लगाया गया था। लेकिन 31.10.2008 को लोहे के कबाड़ के सिवाय सभी लोहे और इस्पात की मदों पर निर्यात शुल्क से छूट दी गई थी। 7.12.2008 को लौह अयस्क फाइन्स पर निर्यात शुल्क पूर्णतया हटा दिया गया था और लौह अयस्क लम्प्स पर शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया था।

(xi) **बकाया संग्रहण :** सं.अ. 2008-09 और ब.अ. 2009-10 में प्रत्येक वर्ष के लिए 1280 करोड़ रुपए राशि के बकाए सीमाशुल्क को शामिल किया गया है।

संघ उत्पाद शुल्क

2008-09 के संघ उत्पाद शुल्क का संशोधित अनुमान 108359 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 137874 करोड़ रुपए है।

2009-10 के लिए बजट अनुमान 110604 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का संघटन नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपए)

		बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
1.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	98880	68505	68822
2.	मोटर स्प्रिट पर उपकर	2860	3500	3720
3.	हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर	10790	11030	11690
	जोड़ (1+2+3)	112530	83035	84232
4.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	2120	2085	2125
5.	मोटर स्प्रिट पर अधिभार	8580	10500	11160
6.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	815	980	1000
7.	निम्नलिखित द्वारा प्रशासित उपकर			
	(i) **राजस्व विभाग**	**12565**	**10400**	**10610**
	(क) शिक्षा उपकर	2655	2075	2120
	(ख) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	1325	1040	1060
	(ग) अन्य	8585	7285	7430
	(ii) **अन्य विभागों द्वारा***	**1264**	**1359**	**1477**
	कुल उपकर (i+ii)	***13829***	***11759***	***12087***
	जोड़ (1+2+3+4+5+6+7)	***137874***	***108359***	***110604***

1. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क : बुनियादी उत्पाद शुल्क विशेष उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 द्वारा प्रभार्य हैं। बजट 2008-09 में सेन वैट दर 01.03.08 से 16% से घटाकर 14% कर दी गई है। इसे 7.12.2008 से और घटाकर 10% कर दिया गया था। ब्रांड रहित मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क 6.35 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5.35 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था। ब्रांड रहित हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क 2.6 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 1.6 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था।

2. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि : वित्त अधिनियम, 2001 के अनुसार पान मसाले और कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाया गया था। वित्त विधेयक, 2003 ने यह लेवी निम्न तक विस्तारित की हैः

(क) पालिएस्टर फिलामेंट धागा, मोटर कार, दुपहिया और बहुपयोगी वाहनों पर 1% की दर से; और

(ख) कच्चे पैट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मी. टन की दर से।

3. शिक्षा उपकर : शिक्षा उपकर सकल उत्पाद शुल्कों पर 2% की दर पर प्रभार्य है।

4. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : उत्पाद शुल्क पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर प्रभार्य है।

5. मोटर स्प्रिट पर उपकर : वित्त अधिनियम (संख्या 2) 1998 द्वारा मोटर स्प्रिट पर उपकर प्रभार्य है।

6. हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर : वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर प्रभार्य है।

7. मोटर स्प्रिट पर अधिभार : वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अधिभार प्रभार्य है।

8. पान मसाले और तंबाकू उत्पादों पर अधिभार : वर्ष 2005-06 के बजट में निर्दिष्टानुसार सिगरेट, पान मसाले और कतिपय तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। बीड़ी पर यह नहीं लगेगा।

9. बकाया संग्रहण : सं.अ. 2008-09 और ब.अ. 2009-10 मे केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया के संग्रहण के रूप में क्रमशः 1600 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

*** *अन्य विभागों*** *द्वारा प्रशासित उपकरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :*

1.	कोयला और कोक	450.00	475.00	515.00
2.	नमक	2.97	4.00	4.00
3.	रबड़	100.00	100.00	100.00
4.	अभ्रक	3.50	3.50	3.50
5.	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोमअयस्क	21.50	25.00	25.00
6.	लाइम स्टोन व डोलोमाइट	22.50	24.50	25.00
7.	सिने निर्माण कार्य	2.00	2.50	2.50
8.	प्रदुषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण	180.00	200.00	240.00
9.	अनुसंधान और विकास	248.00	315.00	345.00
10.	बीड़ी निधि	230.00	206.00	214.00
11.	अन्य लेखों के अन्तर्गत उपकर	3.25	3.25	3.25
	जोड़	**1263.72**	**1358.75**	**1477.25**

सेवा कर

65000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2008-2009 का संशोधित अनुमान 64460 करोड़ रुपए रखा गया है।

वर्ष 2009-2010 का बजट अनुमान 68900 करोड़ रुपए है।

शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर क्रमशः 2% की और 1% की दर पर प्रभार्य हैं।

सेवा कर के बकाया संग्रहण के रूप में 2008-09 के संशोधित बजट अनुमान मे 1650 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2009-10 में 1300 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-2009	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
भू-राजस्व	2.66	4.42	4.51
स्टाम्प और पंजीकरण	86.14	118.73	119.40
राज्य उत्पाद शुल्क	180.80	188.70	191.13
बिक्री कर	1105.06	1204.06	1215.06
वाहनों पर कर	50.60	45.60	44.32
सामान और यात्रियों पर कर	4.80	4.80	4.52
बिजली पर कर और शुल्क	13.50	14.00	14.00
अन्य कर और शुल्क	7.33	9.27	9.40
जोड़	**1450.89**	**1589.58**	**1602.34**

कर राजस्व का बकाया

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 (एफआरबीएम नियमावली) के नियम 6 के अनुपालन में प्रमुख करों के संबंध में जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व संबंधी प्रकटन विवरण अनुबंध 10 में दिया गया है।